

विचार बिन्दु

घृणा और प्रेम दोनों अंधे होते हैं। –कहावत

न्यायपालिका में डगमगाता विश्वास

गत कुछ समय से भारत की न्यायपालिका बहुत चर्चा में है, किंतु यह चर्चा सही कारणों से नहीं अपितु गलत कारणों से है। देश में जब भी कोई विवाद नहीं सुलझता है तो लोगों को यह कहते हुए देखा जाता है कि-“अदालत में देख लूंगा।” लोगों को यह विश्वास रहता है कि जब और कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायालय से मिल ही जाएगा। यह भी कहा जाता है कि न्यायालय के लिए सभी समान हैं, कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर।

गत दिनों में जिस प्रकार के निर्णय विभिन्न स्तर के न्यायालयों से आए हैं, उसने इस विश्वास को हिला कर रख दिया है। यह बात भी अब गलत लगती है कि कानून सबके लिए एक समान लागू होता है। जो ताकतवर, अमीर या प्रभावशाली हैं, वे येन-केन-प्रकरणे न्यायालय की सहायता से अपने पक्ष में निर्णय करवाने में सफल हो ही जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका तो वैसे भी सामान्यतः समर्थ और सक्षम लोगों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं। एक न्यायपालिका ही थी, जिससे न्याय की अपेक्षा सामान्य नागरिक को रहती थी, किंतु अब वह भी कम होती दिखाई दे रही है। कानून का लाभ वे ही ले पाते हैं जो पैरवी के लिए महंगे वकील कर सकते हैं। साधारण नागरिक के लिए न्यायालयों में महंगे वकीलों का खर्चा वहन करना संभव ही नहीं है।

हम इस लेख में ऐसे ही कुछ फैसलों का जिक्र करेंगे जिनसे न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात लगा है।

सर्वाधिक चर्चित मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव के तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का है। सेंगर को न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील में इस सजा को निलंबित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को 2०19 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। यह सजा पौक्सो कानून के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने के बाद दी गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 वर्षीय नाबालिगा बालिका को नौकरी देने का लालच देकर न केवल उसका बलात्कार किया अपितु उसका विरोध करने पर अपने साथियों से उसका गैंगरेप भी करवाया। यूपी पुलिस ने एफ् आर आर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिखने से इनकार किया तो इस बालिका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह का प्रयास तक किया।

इसके पिता को थाने में बंद कर उसकी इतनी पीटाई की गई कि उसकी मौत हो ही गई। तब पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि उसके प्रकरण को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाय और जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई ने जांच करने के बाद सेंगर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की और जांच के बाद सेंगर को बलात्कार का दोषी माना। जब पीड़िता सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली जा रही थी तो उसकी दुर्घटना कर दी गई जिसमें उसकी दो मौसियों की मृत्यु हो गई और वह स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज एम्स में चला। यह तो पीड़िता की हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बयान पर अड़ी रही और लगातार संघर्ष करती रही। मीडिया के समर्थन और उसके संघर्ष का ही परिणाम था कि 2०19 में कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई। इसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में की गई। पीड़िता के पति को अभी भी कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। आक्षर्यजनक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की सजा इस आधार पर निलंबित कर दी कि वह 7 वर्ष से अधिक जेल में रह चुका है और वह लोक सेवक नहीं था, इसलिए उसे ‘प्रोवेटेड ऑफिस’ के लिए निर्धारित 20 वर्ष की सजा नहीं दी जा सकती। यह उल्लेखनीय है कि पौक्सो कानून के अंतर्गत लोक सेवक अथवा किसी “पर्सन ऑफ ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी” द्वारा अपराध किए जाने पर सजा 7 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की होती है। सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न प्रभावशाली व्यक्ति माना और न लोक सेवक। यह कितना विचित्र है कि विधायक पर दया करते हुए उसकी सजा दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दी। स्पष्ट है, न्यायालय को सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्याएं व्यक्ति को राहत देना अधिक उचित लगा बजाय पीड़िता को न्याय देने का।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की सर्वत्र आलोचना हो रही है और इसे न्याय के विरुद्ध माना जा रहा है। पहले तो सीबीआई ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात नहीं कही, किंतु जैसे ही पीड़िता एवं उसकी मां से राहुल गांधी मिले एवं उन आक्रोश बढ़ता गया तो फिर सीबीआई ने रातों-रात इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलता है अथवा नहीं। पीड़िता ने तो यहां तक कहा है कि यदि सेंगर को जेल से बाहर रखा जाता है तो उसे सुरक्षा की दृष्टि से जेल भेज दिया जाए। लगभग सभी पूर्व न्यायाधीशों और न्यायविदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को कानून का मखौल बताया है। उनके अनुसार पौक्सो एक्ट के अंतर्गत जिस कड़ी सजा का प्रावधान किसी “पर्सन ऑफ् आथॉरिटी एंड ट्रस्ट” के लिए किया गया था, वह सेंगर पर पूरी तरह लागू होता है, अतः उसे “एग्जेटेड ऑफिस” की सजा ही मिलनी चाहिए।

जब पीड़िता, उसकी मां एवं उनकी महिला वकील उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध दिल्ली के इंडिया गेट पर डंड में प्रदर्शन करने हेतु बैठे, तो उन्हें वहां से पुलिस द्वारा जबरन घसीट कर हटा दिया गया। प्रधानमंत्री के नारे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का क्या हश्र कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कर रहे हैं, यह इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। कहा तो यह जा रहा है कि कि प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ’ नारे का मतलब ही यह है कि बेटियों को नेताओं से बचा कर रखा जाए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश

न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि

अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर हैं तो

कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते

प्रदान करता है और ऐसा करने में

न्यायपालिका भी सहायता करती हैं। इससे

पहले कि यह डगमगाता विश्वास बिल्कुल

समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं

आत्मावलीकन कर सुधारात्मक कदम

उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत

जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

एक ओर, जहां सेंगर जैसे बलात्कारी को जमानत देने का आदेश हुआ है वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरण विद् और सामाजिक कार्यकर्ता को महोनों के बाद भी बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी सजा के जमानत नहीं मिली है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को 5 वर्ष से अधिक जेल में हो चुके हैं किंतु अभी तक ट्रायल भी प्रारंभ नहीं हुई। पहली बार उसको बहन की शादी में भाग लेने हेतु 15 दिन की जमानत मिली है। इसके विपरीत, राम रहीम, जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है उसे अब तक 14 बार पैरोल मिल चुकी है। यह केवल संयोग नहीं है कि जब-जब भी हरियाणा में कोई चुनाव होते हैं इसे पैरोल मिल जाती है। इसी प्रकार बलात्कारी आसाराम भी आकलन 6

महीने के लिए जेल से बाहर है। यह विडंबना ही है कि सत्ताधारी दल, अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम रहीम जैसे बलात्कारी और हत्यारे का उपयोग करने से भी नहीं चूकता। जब दोष सिद्ध बलात्कारियों और हत्यारों को न्यायालय द्वारा जमानत दी जा रही है तो फिर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एवं शोध छात्र खालिद को बिना ट्रायल के जमानत न होना, न्यायालयों के एक पक्षीय व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

रिश्तत के मामले में किसी भी कर्मचारी को पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है, किंतु दिल्ली उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बावजूद अब तक उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। प्रयास यही है कि जैसे-तैसे उन्हें बचाया जाए। ऐसा करके न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं की है।

दिनांक 23 नवंबर, 2025 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अगर वकील को खंडपीठ ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में जो निर्णय दिया, उसने पूरी अरावली पर्वतमाला को ही संकट में डाल दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में 1०० मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का भाग मानने से ही इनकार कर दिया। यह फैसला तब दिया गया जबकि इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के ‘एग्जिस्टिंग क्यूरी’ का स्पष्ट मत इसके विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अरावली पर्वत श्रृंखला को सुरक्षा का जो कवच उपलब्ध था, वह हटा लिया गया है। इस फैसले के विरुद्ध तीव्र वन आंदोलन प्रारंभ हो गया है और संभवतया इसी को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर से समीक्षा हेतु सुप्रेरित संज्ञान अपने स्तर पर ले लिया है। यह उल्लेखनीय है की न्यायमूर्ति गर्वई ने यह आदेश अपनी सेमिनारवृत्ति से केवल 3 दिन पूर्व ही दिया था। यदि 1०० मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही सुरक्षा दी जाएगी तो क्या पहाड़ियों के बीच वाली जो 1०0 मीटर से कम की पहाड़ियां हैं, उनको नष्ट करने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी जाएगी? ऐसा करके न्यायालय ने रियल एस्टेट बिल्डर और खनन माफिया को हजारों करोड़ कमानी की छूट प्रदान कर दी है। स्पष्ट है, इस प्रकार का निर्णय न्याय के आधार पर तो नहीं ही दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से पूरे देश में बवाल हो गया है और सभी पर्यावरण विद् इसके विरोध में आंदोलन तेज कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 9० प्रतिशत भाग राजस्थान के 11 जिलों में स्थित है एवं शेष में से कुछ गुजरात और कुछ हरियाणा में है। कहा जाता है कि हरियाणा के एक जिले में ही इस प्रकार की छूट से बिल्डरों को लगभग 4०0०० करोड़ का लाभ होना अनुमानित है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि निर्णय देते समय क्या माननीय न्यायाधीशों के मन में यह विचार नहीं आया कि उनके निर्णय से पर्यावरण का कितना नुकसान हो जाएगा? लाखों-करोड़ों वर्ष में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उनको नष्ट करने का परता साफ करना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा। न्यायपालिका का उरतरदायित्व केवल और केवल संविधान के प्रति है, किंतु शायद वह भी सरकार को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए वे कई बार कार्यपालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए दिखाई देते हैं। न्याय, न केवल होना चाहिए अपितु दिखाई भी देना चाहिए, ऐसा कई बार कहा जाता है, किंतु आजकल न्याय हो ही कम रहा है, इसलिए दिखाई देने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आम जन के हित के विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर दें तो लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त आम जन, अपने संविधान सम्मत अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाएगा? समय आ गया है जब न्यायपालिका को अपने स्वयं के भीतर झांक कर देखना होगा कि उसकी छवि नागरिकों में किस प्रकार से गिरती जा रही है? समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठता तो फिर इस गिरती साख को बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। न्यायपालिका में सुधार का कार्य जितने प्रभावी तरीके से न्यायपालिका स्वयं कर सकती है उतना शायद दूसरे अंग नहीं कर पाएंगे। यदि न्यायपालिका खुद अपने सुधार नहीं करेगी तो फिर वह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका को अपने क्षेत्राधिकार में दखल देने के लिए आमंत्रण देने जैसा होगा।

जब जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम होगा तो जनता भी फिर उनके साथ खड़ी होने से कतराएंगी। ऐसी स्थिति न न्यायपालिका के लिए अच्छी होगी और न देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर है तो कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते प्रदान करता है और ऐसा करने में न्यायपालिका भी सहायता करती है। इससे पहले कि यह डगमगाता विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं आत्मावलीकन कर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



राजेंद्र महलोत

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। विगत दिनों अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप, आशंकाएं और बयान सामने आए हैं, उन्होंने इस अत्यंत संवेदनशील विषय को तथ्यों से अधिक राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के अंतर्गत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला दिल्ली से गुजरात तक करीब 65० किलोमीटर में फैली हुई है। यह इंडो-गंगा के मैदानों के मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती

व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

खनन की विरासत और नियंत्रण की आवश्यकता
अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और एशकों तक यहां खनन गतिविधियां चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर चोट पहुंचाई। इसी प्रवृत्ति में 199० के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए। 2०09 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2०24 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई। यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक और नीतिगत रुख समय के साथ अधिक सख्त और संरक्षण का होता गया है।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रहीं।अलग-अलग राज्यों और संस्थानों द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2०25 को अंतिम निर्णय दिया गया। इसका उद्देश्य अस्पष्टताओं का अंत और एक

वैज्ञानिक, एकरूप ढांचे की स्थापना था। कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 1०० मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 1०० मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2००5 को 1०० मीटर से अधिक ऊंचाई को हिल मानने का मानक तय किया था।

यह तथ्य भी रेखांकित होना चाहिए कि 1०० मीटर फार्मुले को नीतिगत रूप से पहली बार 2००3 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक महलोत की सरकार ने ही दिया। अब यह तय किया गया है कि 1०० मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां और उनसे 5०० मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंड फॉर्मस एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएंगे। इस 5०० मीटर जोन में आने वाले सभी भूआकृतिक ढांचे (उनकी ऊंचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 1०० मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

यह भी तथ्यहीन दावा है कि 9० प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन में आता है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कुल अरावली क्षेत्र में से केवल 2 से 5.6 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित और नियंत्रित खनन के दायरे में आता है। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार

अरावली के लिए न्याय सिर्फ डेटा और आँकड़े ही बताएंगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है



सूर्य प्रताप सिंह राजावत

हाल ही में अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनिंदा व्याख्या का शिकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2० नवंबर 2०25 के आदेश के तहत स्यात निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा से संबंधित है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 मई 2०24 के आदेश के बाद गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरावली पहाड़ियां: ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-भाग (जमीन) से 1०० मीटर या उससे अधिक हो, अरावली रेंज (पर्वतमाला): यदि दो या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 5०० मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें एक ही पहाड़ियों का समूह माना जाएगा। दूसरा समिति की रिपोर्ट के अनुसार खनन पर रोक से संबंधित है।

पांचवां निर्देश, जो फैसले के महत्वपूर्ण परिचालन भाग को रेखांकित करता है, एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध है। छठा निर्देश, स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने

रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित है। चौथा निर्देश स्पष्टनेबल माइनिंग के लिए प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) के बारे में बात करता है। दिलचस्प बात यह है कि सरंडा वन्यजीव अभयारण्य के लिए आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2०25 द्वारा एमपीएसएम के निर्देश दिए हैं।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए, एमपीएसएम के दायरे को अदालत द्वारा परिभाषित किया गया है जैसे एमपीएसएम को अरावली परिदृश्य के भीतर खनन के लिए अनुमेष क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण-महत्वपूर्ण और बहाली प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पसचान करनी चाहिए जहां खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा या केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। एमपीएसएम में संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र की पारिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण शामिल होगा और इसमें खनन के बाद बहाली और पुनर्वास के विस्तृत उपाय शामिल होंगे।

पांचवां निर्देश, जो फैसले के महत्वपूर्ण परिचालन भाग को रेखांकित करता है, एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध है। छठा निर्देश, स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने

के बाद खनन केवल वहीं अनुमेष होगा जहां स्थिरता मानकों को पूरा किया जाता है। अंतिम निर्देश मौजूदा खनन गतिविधियों से संबंधित है जिन्हें विशेष समिति की रिपोर्ट की विचारिश के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता यह है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की नई परिभाषा से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी भारत के प्रभावित इलाकों में जंगल कटाई और रेगिस्तान बढ़ने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कानूनी सवाल नहीं था जिस पर फैसला किया जाए। कोर्ट के पास फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दो ऑप्शन थे। कमेटी ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए रिचर्ड मर्फ़ लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन को अपनाया। जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआइ) की 19 फरवरी 2०1० को सर्वमिट की गई रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए तीन डिग्री से ज्यादा ढलान को शामिल किया गया है। एमिकस क्यूरी ने एफएसआइ रिपोर्ट का समर्थन किया। जबकि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस आधार पर एफएसआइ रिपोर्ट का विरोध किया कि अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं से एक बड़ा क्षेत्र बाहर रखा गया है। दूसरी ओर,

यदि समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है, तो अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की परिभाषा में बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने समिति के काम की सराहना की, लेकिन कहा कि एफएसआइ को सारंडा की तर्ज पर किया जाना चाहिए रिट याचिका, एक निरंतर परमादेश होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित निगरानी में है। 2० नवंबर 2०25 का आदेश एक ऐसा आदेश है जिसमें भविष्य में, यदि आवश्यकता पड़ी तो, संशोधन किया जा सकता है। पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत के अनुसार निपटया जाता है। सिर्फ एफएसआइ पूरा होने पर ही एफएसआइ पैरामीटर द्वारा किए गए दावों की असंगति और एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए परिभाषा के असर का पता चल सकता है। अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की कौन सी परिभाषा अरावली की रक्षा करेगी, यह सिर्फ डेटा और आँकड़े ही बताएँगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है। इसके बाद कोई फैसला करेगा और अरावली को न्याय देगा। जो भी हो, एफएसआइ पूरा होने तक खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चल रही बहस ने अवैध माइनिंग को रोकने का काम सौंपे गए एनवैरोमेंट एजेंसियों की नाकामी के मुद्दे को छिपा दिया है।

कानूनी न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी

चाहिए, निर्णय में गायब है। अरावली मामले के लिए यह कानूनी दृष्टिकोण हितधारकों में विश्वास पैदा करेगा। साथ ही, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा फैसले सुनाए जाने के बाद डिप्टी करने की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा तय करने का काम एक्सपर्ट कमेटी का है, लेकिन अरावली मामले में कोर्ट द्वारा अप्रवल की प्रक्रिया ने फैसले को विधायिका की भूमिका में खड़ा कर दिया न्यायिक संयोग को आवश्यकता है जैसे कि अरावली मामले और अयोध्या मामले में देखा गया है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि फैसले के लेखक को फैसला सुनाए जाने के बाद अदृश्य हो जाना चाहिए।

शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समझौता भारते के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा हैं। हालांकि अरावली पहाड़ियों और पर्वत हैं। इसलिए, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा और मापदंडों के खिलाफ विरोध का मतलब है न्यायपालिका संस्था पर ही विश्वास खो देना। आखिर में, जनहित याचिका के फैसले के लिए विस्तृत आदेश का ड्राफ्टिंग जरूरी है। आदेश की बेहतर ड्राफ्टिंग से मौजूदा सामाजिक अशांति, पैदा किया गया प्रायोजित भ्रम और बेबुनियाद आरोपों से बचा जा सकता था।

—सूर्य प्रताप सिंह राजावत, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

राशिफल मंगलवार 30 दिसम्बर, 2025	
	पौष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2०82, भरणी नक्षत्र रात्रि 3:58 तक, सिद्ध योग रात्रि 1:०2 तक, गर करण प्रगत: 7:52 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-मेघ, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरु-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज रविवयोग रात्रि 3:58 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 3:58 से आरम्भ होगा। भद्रा सायं 6:26 से बुधवार प्रात: 1:०1 तक रहेगी। आज सूर्य पूजा और शाम्भ दशमी है। आज पुत्रदा एकादशी व्रत स्मार्तां के है। आज एकादशी तिथि का क्षय हुआ है। आज से मेला उर्स समाप्त होगा।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:54 से 11:12 तक, लाभ-अमृत 11:12 से 1:47 तक, शुभ 3:०4 से 4:22 तक। राहूकाल: 3:०० से 4:3० तक। सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 5:39 तक	

मेघ
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदेड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।
वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय मित्रों/रिश्तेदारों के कारण खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।
कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

सिंह
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।
कन्या
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।
तुला
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।
वृश्चिक
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिचर्चया में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्यों का सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।
मकर
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। पारिवारिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।
कुंभ
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।
मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनें लोगों अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

चौमूं उपद्रव के बाद नगर परिषद ने नोटिस जारी किये, तीन दिन में जवाब मांगा

अवैध निर्माण, अवैध मीट दुकानें, बूचड़खानों को नगर परिषद ने नोटिस जारी किये

■ नगर परिषद ने इमाम चौक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित घरों और दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमणों के संबंध में नोटिस जारी किए

■ वर्तमान में चौमूं शहर में हालात सामान्य और शांतिपूर्ण बने हुए हैं, संवेदनशील इलाकों में एहतियातन तौर पर पुलिस बल तैनात है

चौमूं/कालाडेरा, (निर्स)। चौमूं पत्थरबाजी की घटना के बाद चौमूं नगर परिषद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किए। चौमूं नगर परिषद प्रशासन ने शहर में अवैध अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। नगर परिषद ने इमाम चौक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित घरों और दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमणों के संबंध में नोटिस जारी किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर बने चबूतरे, अवैध सिढ़ियों सहित अन्य

एमडीएसयू के कुलगुरु के समर्थन में कर्मचारी एकजुट

दूरभाष पर धमकी व गाली-गलौज की निंदा की

अजमेर, (कास)। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू) के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को एक निजी महाविद्यालय के संचालक द्वारा दूरभाष पर दी गई धमकी एवं गाली-गलौज की घटना के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुलगुरु से शिष्टाचार भेंट की। कर्मचारियों ने इस आपत्तिजनक कृत्य की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए इसे विश्वविद्यालय की गरिमा और सर्वोच्च पद के प्रति अस्वीकार्य बताया।

कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा

कि संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार कुलगुरु महोदय के साथ मजबूती से खड़ा है तथा किसी भी परिस्थिति में उनके साथ घटित घटनाक्रम की घोर निंदा करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुलगुरु द्वारा नियमों के अनुरूप लिए गए हर निर्णय का विश्वविद्यालय समुदाय पूर्ण समर्थन करता है। भेंट के दौरान कर्मचारियों ने निजी महाविद्यालय संचालक द्वारा किए गए कृत्य की निंदा के साथ-साथ उसके द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग भी उठाई, ताकि भविष्य

में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और शैक्षणिक व्यवस्था की पारदर्शिता एवं शुचिता बनी रहे। इस अवसर पर पूर्व कर्मचारी अध्यक्ष दिलीप शर्मा, पूर्व महासचिव सुरेंद्र कुमावत, मनोज बिश्नोई, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, सिद्धार्थ पवार, पेप सिंह राजपूत, मुकेश कुमार मीणा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, अनुशासन और विधिसम्मत कार्यप्रणाली से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

गैंगरेप के आरोपी आईटी कंपनी सीईओ व साथी को जेल

उदयपुर, (कास)। शहर पुलिस ने आईटी कंपनी मैनेजर पीड़िता के साथ कार में गैंगरेप के आरोपी आईटी कंपनी सीईओ व साथी को पुलिस रिमांड के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भिजवाया।

प्रकरण के अनुसार गत दिनों शहर स्थित आईटी कंपनी के सीईओ द्वारा बर्धदे व एण्ड ऑफ इयर पार्टी के उपलक्ष में कम्पनी कर्मचारियों के लिए पार्टी का आयोजन करने के बाद कंपनी मैनेजर पीड़िता को घर छोड़ने के दौरान कार में उसके साथ गैंगरेप किया था। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ उदयपुर माधुरी वर्मा के नेतृत्व में सुखेर थानाधिकारी रविन्द्र चारण मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार

आईटी कंपनी सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया पुत्र कचरूलाल सिसोदिया निवासी स्काई मरीना अपार्टमेंट सुखाड़िया सकल अम्बामाता, गौरव सिरोही पुत्र शक्तिवीरसिंह सिरोही निवासी पामथीन सुपरटेक दिल्ली रोड ब्रम्हपुरी मेरठ यूपी हॉल हितावा अपार्टमेंट सुखेर को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर लिया।

इस दौरान उसके बताए अनुसार रूट चार्ट, डेक कमेरा रिकार्डिंग व अन्य साख्य के आधार पर पूछताछ के बाद रिमाण्ड अवधि पूरी होने पर 29 दिसंबर को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को 2 जनवरी तक के लिए जेल भेजा। आरोपियों द्वारा गैंगरेप की वारदात करने पर पीड़िता ने गत दिनों सुखेर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था।

बीकानेर में लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने आत्महत्या की

■ फोन में म्यूजिक लगाकर कमरे में फंदे पर लटके मिले, परिजन दरवाजा खटखटाते रहे

■ युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, ऐसे में दोनों पर दबाव बनाया जा रहा था, इसके चलते दोनों ने आत्महत्या की

बीकानेर, (निर्स)। लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी। ऐसे में, दोनों पर दबाव बनाया जा रहा था, इसके चलते दोनों ने घर के कमरे में फंदा लगा लिया। देर रात कमरे से तेज आवाज में गाने चलने की आवाज आ रही थी, परिजनों ने दरवाजा भी खटखटाया था। इसके बाद सुबह जब दोनों को उठाने के परिजन गए तो शव फंदे पर लटके हुए देखे। मामला बीकानेर के बज्जू थाना इलाके का का है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगाकर जान दी है।

बज्जू थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि प्रकाश (21) और करिश्मा (20) ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह परिजनों ने मामले की जानकारी दी तो शवों को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से बज्जू उप जिला चिकित्सालय में दोनों के शवों का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है। एस्पएचओ ने बताया कि दोनों जोगी कालबेलिया समाज के हैं और जुलाई से साथ में रह रहे हैं। इससे पहले दोनों कहीं और रहते थे। एस्पएचओ के

अनुसार, जब तक पुलिस पहुंची तब तक शवों को फंदे से नीचे उतारा जा चुका था। ऐसे में, एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया, जहां से एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। दोनों के परिजनों ने लिखित रिपोर्ट पुलिस को दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, करिश्मा का रिश्ता किसी अन्य युवक के साथ तय हो गया था। ऐसे में, वह किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। करिश्मा पर उसके परिवार की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में, प्रकाश और करिश्मा ने

अपनी जान दे दी। हालांकि, पुलिस अपने स्तर पर परिजनों से पुछताछ कर मामले की जानकारी जुटा रही है। जानकारी के अनुसार, प्रकाश के माता-पिता घर में ही दूसरे कमरे में सो रहे थे। वहीं प्रकाश और करिश्मा भी घर के पास वाले कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात कमरे से मोबाइल पर गाने चलाए जाने की आवाज आने लगी। परिजनों ने सोचा कि दोनों गाने सुन रहे हैं। ऐसे में, मोबाइल पर गाने की आवाज तेज होने के चलते किसी को अंदाजा नहीं लग पाया कि दोनों अंदर सुसाइड करने की तैयारी में हैं। रात में भी परिजनों ने दरवाजा खटखटा कर पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद सुबह जब उन्हें उठाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो दोनों फंदे पर लटके मिले।

सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

उनियारा/टोंक, (निर्स)। अलीगढ़ पुलिस थाना अन्तर्गत टोंक-सवाईमाधोपुर हाइवे पर बिलोता अण्डरपास पुलिया के पास रविवार देर रात को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अलीगढ़ पुलिस थानाधिकारी सीआई राजकुमार चौधरी ने बताया कि मृतक जितेन्द्र (27) पुत्र बाबूलाल महांवर निवासी अलीगढ़ जिला टोंक है।

■ मृतक बाइक सवार युवक मजदूरी कर परिवार का कर रहा था पालन पोषण



मृतक का फाइल फोटो

उन्होंने बताया कि रविवार देर रात्रि पुलिस गश्त के दौरान पुलिस को टोंक-सवाईमाधोपुर हाइवे पर बिलोता अण्डरपास पुलिया के पास एक अज्ञात बाइक हेडलाईट जली हुई सड़क पर पड़ी मिली। इस पर पुलिस ने बाइक को जांच करने पर सड़क पुलिया के डिवाइडर के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार मृत अवस्था में मिला। इस पुलिस ने मृतक के शव को अलीगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मोर्चरी में रखवा कर मृतक की शिनाख्त में जुटी। पुलिस की सूचना पर सोमवार

सुबह मृतक बाइक सवार के परिजन पुलिस थाना पहुंचे। जहां परिजन ने बाइक सवार की शिनाख्त के बाद सड़क हादसे के मामले की जानकारी ली। सोमवार दोपहर दुर्घटना में बाइक सवार के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतक के परिजनों की और से अलीगढ़ पुलिस में अज्ञात बाइक टक्कर से मौत होने की रिपोर्ट दी गई। मृतक युवक मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था।

गर्भवती महिला का ससुराल में संदिग्ध हालत में शव मिला

अलवर, (निर्स)। नौ महीने एक गर्भवती महिला का ससुराल में संदिग्ध हालत में शव मिला। महिला की बहन ने फोन पर पीहर पक्ष को सूचना दी। मौके पर पहुंचे महिला के भाई और चाचा ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के नंगला बंजीरका गांव का है।

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि हरियाणा के नूंह निवासी मोहम्मद इश्शाद ने रविवार को बगड़ तिराहा थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि नंगला बंजीरका में उसकी बहन संजीदा की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। 1 दिसंबर 2024 को उसने अपनी बहन संजीदा (22) और मनीषा (21) की शादी रामगढ़ के नंगला बंजीरका गांव के पूर्व सरपंच आजाद के छोटे भाई तैयब के दो बेटों से की थी। संजीदा की शादी सादिक और मनीषा की शादी सरफराज के साथ की थी। इश्शाद ने बताया कि शादी के बाद से ही संजीदा को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। इस दौरान संजीदा गर्भवती हो गई। रविवार को सुबह 11 बजे मनीष ने घर पर फोन करके कहा कि ससुराल वालों ने संजीदा



मृतका का फाइल फोटो।

की हत्या कर दी है। हम रविवार दोपहर गांव पहुंचे तो संजीदा पलंग पर बेसुध पड़ी थी। घर पर छोटी बहन को छोड़कर कोई भी मौजूद नहीं था। हम उसे रामगढ़ सीपचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

संजीदा के चाचा इस्लामुद्दीन ने बताया कि एक साल पहले ही हमने दोनों बेटियों की शादी की थी। शादी में ट्रैक्टर, बोलेरो, एसी, अभूषण और नकद राशि देने के बाद भी दहेज की मांग की जा रही थी। दोनों बहनों को घर में काफ़ी परेशान किया जाता था। यहां

अलवर में कार ने ऑटो को टक्कर मारी, दो युवक बाल-बाल बचे

अलवर, (निर्स)। अलवर में मोती इंग्री रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ऑटो से टकराने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद कार में सवार दो युवक मौके से फरा हो गए। ऑटो के परखच्चे उड़ गए,

■ हादसे के बाद कार में सवार दो युवक मौके से फरार हो गये



हादसे के बाद ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसा रविवार रात करीब 9:30 बजे हुआ।

अरावली विहार थाना पुलिस के एसएसआई ओमप्रकाश ने बताया कि कार स्टेडियम की दिशा से एसएमडी चौराहे की ओर जा रही थी। इसी दौरान एलआईसी कार्यालय के बाहर खड़े ऑटो को टक्कर मार दी। इसके बाद कार एलआईसी ऑफिस की दीवार से जा भिड़ी और सड़क पर पलट गई।

घटना में कार सवार दोनों युवक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जिस समय हादसा हुआ, ऑटो में कोई मौजूद नहीं था। कार अमन, निवासी नयाबास के नाम पंजीकृत है, जबकि क्षतिग्रस्त ऑटो उदयपुर माधुरी वर्मा के नेतृत्व में सुखेर थानाधिकारी करणसिंह राठौड़ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फायरिंग में शामिल आरोपी गोलू गुर्जर महिला के भेष में श्योसिंहपुरा रोड पर घूम रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला के वेश में घूम रहे व्यक्ति को देखा और घेराबंदी की। आरोपी ने सरसों के खेत में भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुछताछ में उसने भेष बदलकर छिपने और फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपी गोलू गुर्जर (21) सुरगढ़, थाना बाटोदा का निवासी है।

फायरिंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार

■ गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस निकाला

■ दो दिसंबर को महेंद्र उर्फ काडू पहलवान पर फायरिंग हुई थी

गंगापुर सिटी, (निर्स)। पुलिस ने दिनदहाड़े फायरिंग के एक मामले में वांछित पांच हजार के इनामी बदमाश गोलू गुर्जर को महिला की पोशाक में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का शहर के प्रमुख बाजारों में जुलूस निकाला।

पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के निर्देश पर एसएसपी राकेश राजौरा के सुपरविजन में पुलिस उपाधीक्षक गिरांज मीणा और कोतवाली थानाधिकारी करणसिंह राठौड़ के नेतृत्व में यह जुलूस कोतवाली थाना, देवी स्टोर चौराहा, खारी बाजार, चौपड़, कैलाश टॉकीज, जामा मस्जिद, फव्वारा चौक और कचहरी रोड होते हुए वापस कोतवाली थाना पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने बताया कि 2 दिसंबर को माल गोदाम रोड स्थित पुरानी सब्जी मंडी में महेंद्र उर्फ काडू पहलवान पर फायरिंग हुई थी। इस संबंध में कोतवाली थाना गंगापुर सिटी में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

संविदा कर्मियों ने नियमित करने व वेतन बढ़ोतरी की मांग की

‘संविदाकर्मों कई सालों से विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं’

अलवर, (निर्स)। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संविदा

■ मांगें नहीं मामले पर उग्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी



मांगों को लेकर संविदाकर्मियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया।

जबकि अन्य राज्यों में समान कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यश जोशी ने आरोप लगाया कि सरकार की अनदेखी के चलते संविदा कर्मियों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन की ओर तेज किया जाएगा। इसके तहत विभागों में दो घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी।

कार्यालय नगरपालिका खुडाला फालना स्टेशन जिला-पाली

रेसि नं./फैक्स नं. - (02938) 236170 / 236883, ई-मेल - eombfalna@gmail.com

Notice Inviting Bid

Bids for Development Work Of Subject matter(s) of Procurement are invited from interested bidders From 11.00 AM Date 23.12.2025 to 6.00 PM Date 02.01.2026

Other particulars of the bid may be Visited on the procurement portal (<http://Sppp.raj.nic.in>), (<https://eproc.rajasthan.gov.in>) of the state and Municipal Board Khudala-Falna Office,

UBN :- DLB2526WSOGB28114, 28111, 28118, 28126, 28129, 28132, 28133, 28134, 28135, 28136

Executive Officer
Municipal Board Khudala-Falna

Raj.Samwad/C25/16560

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli

File No. :- 2413 - 17 Date :- 26/12/2025

Notice inviting Bid

NIB NO. 34/2025-26 YEAR 2025

Bids for Talab, Talai, Mpt, ECD, check dam, Recharge shaft, Sub surface barrier, talab renovation e.t.c of PMKSY 2.0 estimated value INR 116.11 Lacs (60.43+55.68) are invited from interested bidders upto to 06.00 PM, 04-01-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.rajasthan.gov.in> or <https://sppp.rajasthan.gov.in/>) of the state and Departmental (<https://water.rajasthan.gov.in/wdc/>). UBN NO.- WSC2526WSR02131, 02132

Superintending Engineer and Project Manger
WCDC Zila Parishad Karauli

Raj.Samwad/C/25/16600

कार्यालय नगर परिषद बारां

nagarpalikabaran@gmail.com रजिस्ट्र नं.दर, बारां (राज्) Phone : 07453-230106

क्रमांक :- नवम्बर / पुल शाखा / 2025 / 8935-36 दिनांक :- 23.12.2025

निविदा सूचना संख्या : 04/2025-26

नगर परिषद बारां द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इस कार्यालय के द्वारा नगर परिषद बारां द्वारा पूल शाखा हेतु ई-रिक्वा की भेद्री की सस्ताई का कार्य हेतु ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक / फर्म निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देख सकते हैं।

UBN NO. DLB2526WSOGB28192

आयुक्त
नगर परिषद बारां

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail: dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 07453-230244

क्रमांक-एफ/)क्रय/निविदा/2025-26/8441 दिनांक-22.12.2025

Notice Inviting Bid No. 26/2025-26

Bids for Various Civil Work, Borwell and Irrigation System in New Nursery Creation Total Estimate Value Rs. 151.46 Lacs are invited from interested bidders upto 6 PM on 01.01.2026 Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://sppp.raj.nic.in>), (<http://eproc.rajasthan.gov.in>) of the State & at our office in the office hours. NIB Code-FOR2526WSOB04391, UBN NO.- FOR2526WSOB04089, FOR2526WSOB04094, FOR2526WSOB04092, FOR2526WSOB04093, FOR2526WSOB04098, FOR2526WSOB04086, FOR2526WSOB04087, FOR2526WSOB04089

उप वन संरक्षक
बारां

DIPR/C/19162/2025

●●●●●

⊕

●●●●●

⊕

●●●●●

⊕

●●●●●

आर्मी-डे परेड में लडाकू विमान, टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन होगा : भजनलाल शर्मा

पहली बार सैन्य क्षेत्र के बाहर होगी आर्मी परेड का आयोजन : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान है। सेना के पराक्रम, त्याग और बलिदान के कारण ही हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड का आयोजन न सिर्फ जयपुर, बल्कि पूरे राजस्थानवासियों के लिए जवानों की अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है।

उन्होंने कहा कि पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर आर्मी डे परेड का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि जगत्पुरा में महल रोड पर 15 जनवरी को होने जा रही इस परेड के आयोजन में प्रदेशवासी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, ताकि वे सेना की वीरगाथा के बारे में और अधिक जान सकें। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 78वें सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य आयोजनों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में सेना के अधिकारियों ने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 78वें सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य आयोजनों की तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, डीजीपी राजीव शर्मा सहित राज्य सरकार एवं सेना के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सेना दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को मुख्य परेड का आयोजन होगा, जिसमें जबकि 9, 11 व 13 जनवरी को भी आमजन इसकी रिहर्सल देख सकेंगे। प्रत्येक दिन लगभग डेढ़ लाख लोग इस भव्य परेड के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक दिन स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों,

नारी शक्ति, पूर्व सैनिकों सहित आमजन को परेड दिखाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परेड का आयोजन सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए अधिकारी सेना के साथ समन्वय बनाते हुए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें।

यह आयोजन भारतीय सेना और नागरिकों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान के रिश्ते को और मजबूत

करेगा। इस परेड में लडाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की फ्लाई-पास्ट टुकड़ियों का मार्च, मिसाइल व टैंकों, डोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड में नेपाल आर्मी बैड भी हिस्सा लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी परेड के अवसर पर एसएमएस स्टैडियम में 15 जनवरी को “शौर्य संध्या 2026” का आयोजन किया

- जयपुर के जगतपुरा में 15 जनवरी को होगी मुख्य परेड तथा 9, 11 व 13 जनवरी को रिहर्सल
- भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान : भजनलाल शर्मा
- शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर पर लाइट एंड साउंड शो तथा ड्रॉन शो होगा

जाएगा। इससे पहले 10 जनवरी को इस आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान फस्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं के प्रदर्शन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के साथ 1000 ड्रोन्स का शो भी होगा। उन्होंने कहा कि 8 से 12 जनवरी 2026 तक “नो योर आर्मी” प्रदर्शनी का आयोजन सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में किया जाएगा। प्रदर्शनी के दौरान आम नागरिकों को सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक को नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री

भजनलाल शर्मा ने कहा कि, आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य रूप देने के लिए अधिकारी सभी जरूरी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने परेड स्थल पर अतिथियों और आमजन की बैठने की व्यवस्था, परिवहन, यातायात और पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित राज्य सरकार एवं सेना के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

नववर्ष पर कानून व्यवस्था को लेकर होटल, बार संचालकों के साथ पुलिस की बैठक

जयपुर। नववर्ष की पूर्व संध्या एवं नववर्ष के अवसर पर जयपुर शहर में शांति-सुरक्षा एवं बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) राजीव पवार ने पुलिस कमिश्नरेट में जयपुर शहर के होटल, रेस्टोरेंट एंड बार संचालकों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की।

बैठक के दौरान विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करें। इसके साथ ही सोसीटीवी दुरुस्त रख कर महिला सुरक्षाकर्मी भी नियोजित करें। वहीं डीजे माइक का उपयोग नियमानुसार ही करें। इसके अलावा हुक्का बार पर प्रतिबंध की पूर्ण पालना करें।

राहुल प्रकाश ने कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब के सेवन के पश्चात वाहन चलाने की घटनाओं में वृद्धि की संभावना होती है। जिससे सड़क

दुर्घटनाओं की गंभीर आशंका बनी रहती है। ट्रिंक एंड ड्राइव के कारण न केवल चालक, बल्कि अन्य नागरिकों के जीवन को भी खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे में सड़क सुरक्षा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के साथ-साथ होटल,रेस्टोरेंट एंड बार संचालकों की भी नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इस दिशा में सहयोग करें।

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक होटल,रेस्टोरेंट एवं बार अपने मेहमानों-आगतुकों को प्रतिष्ठान से लौटते समय बिल के साथ 3 उंच आकार की गुलाबी रंग की स्लिप उपलब्ध कराएंगे। जिस पर स्पष्ट रूप से शराब पीकर वाहन न चलाएं का संदेश अंकित होगा।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट एवं बार परिसर के अंदर एवं बाहर चार-चार 2 से 2.5 फीट आकार के गुलाबी रंग के पोस्टर उक्त संदेश के साथ ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे। जो आमजन को स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इनमें से कम

से कम एक पोस्टर प्रसाधन क्षेत्र में लगाया जाना अनिवार्य होगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में स्थित सभी होटल, रेस्टोरेंट एंड बार के मैनेजर अथवा व्यवस्थापक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर 30 दिसंबर 2025 तक उक्त स्लिप एवं पोस्टर होटल प्रबंधन द्वारा स्वीकृष्क रूप से छवाने तथा पोस्टर चप्सा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट एवं बार में इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी हेतु एक कॉन्स्टेबल अथवा हेड कॉन्स्टेबल को नोडल पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। जो होटल प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य नववर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा जयपुर शहर में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

मंत्रियों ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

जयपुर । भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत तथा राजस्व, उपनिवेशीकरण एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय चौधरी ने कार्यकर्ता सुनवाई की। मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई शुरू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। कुमावत ने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रारंभिक रूप से पशुपालन विभाग से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ बिजली और पानी से संबंधित मुद्दे सामने आए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही करने के निर्देश दिए गए। जहां आवश्यकता थी, संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश भी दिए गए। कुमावत ने कहा कि भजनलाल सरकार राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

जयपुर विकास प्राधिकरण में जल्द शुरू होगी ई-जनसुनवाई

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में अब नागरिकों की सुविधा और शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता लाने के लिए शीघ्र ही ‘ई-जनसुनवाई’ शुरू की जाएगी। नवनि्युक्त आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार को कार्यभार संभालते ही यह नवाचार किया है। उन्होंने कहा कि अभी लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने अथवा समस्याओं के समाधान के लिए जेडीए में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है, ऐसे में लोगों को नासिर्फ अपने जरूरी काम छोड़ने पड़ते हैं, बल्कि उन्हें काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। एक ही शिकायत के लिए बार-बार आना-जाना तथा जेडीए के दफ्तरों में चक्कर कटवाना बेकार है।

इन्हें समस्याओं को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिरकण में डिजिटल ‘ई-जनसुनवाई’ प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

महाजन ने बताया कि, लोगों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने



जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों की बैठक ली।

पड़ेगी। इसके बाद यह शिकायतें संबंधित जोन अथवा प्रकोष्ठ को भेजी जाएंगी, जहां इनका परीक्षण होगा। इस कार्यवाही के उपरांत, प्रार्थी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जायेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ओर प्रार्थी होगा, वहीं दूसरी ओर जेडीए के उच्चाधिकारियों की टीम होगी, जो प्रार्थी की समस्या सुनकर, उनकी समस्या का यथोचित समाधान करेगी। साथ ही इस संपूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। इसके बाद भी

यदि कार्य निस्तारण में बाधा आती है, तो उसकी जानकारी भी प्रार्थी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत लॉन्च पड़े पुराने प्रकरणों का निस्तारण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। महाजन ने बताया कि इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन की परेशानी कम करना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ‘ई-जनसुनवाई’ प्रणाली नागरिकों और जेडीए, दोनों के समय व

- नवनि्युक्त आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कार्यभार संभालते ही किया नवाचार

संसाधनों के दक्ष उपयोग में सहायक होगी। इस नई व्यवस्था से जेडीए की सेवाओं में डिजिटल सुधार की एक नई शुरुआत होगी और नागरिकों को त्वरित व प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध हो सकेगी। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार को कार्यभार संभालते ही सभी अधिकारियों को बैठक भी बुलाई। उन्होंने बारी-बारी से सभी जोन व प्रकोष्ठों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जेडीसी से साफ चेतावा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा आमजन तक पहुंचाए सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करें, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधायक डागा को कारण बताओ नोटिस देगी अनुशासन समिति

जयपुर । भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति की बैठक सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में समिति के अध्यक्ष ऑंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य पूर्व सांसद रामकुमार वर्मा, विधायक श्रीचंद कुपलानी और सरोज कुमारी उपस्थित रहे तथा पूर्व सांसद नारायण पंचारिया आनलाइन जुड़े। लखावत

ने बताया कि समिति की बैठक में अनुशासनहीनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा अनुशासनहीनता के प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई का निर्णय किया गया। इस दौरान खींवर विधायक रेवताराम डागा के प्रकरण में समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया।

भाजपा ने की मोर्चा अध्यक्ष की घोषणा

जयपुर। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश के मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की उनमें युवा मोर्चा शंकर गौरा, किसान मोर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, ओबीसी मोर्चा महेंद्र कुमावत, अल्पसंख्यक मोर्चा हामिद खान मेवाती, अनुसूचित जाति मोर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा गोपीचंद मीणा को मोर्चा अध्यक्ष बनाया है।

इंटेलिजेंस, डिफेंस और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान खोजेंगे देशभर के युवा टेक-माइंड्स

जयपुर । केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) जयपुर में आज से दो दिवसीय राष्ट्रीय मंच पर एकांत हुए हैं। यह आयोजन मुख्य रूप से डिजिटल फर्रिक्स, साइबर अपराध रोकथाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस इंटेलिजेंस जैसे गंभीर विषयों पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य ऐसी उन्नत प्रणालियां विकसित करना है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक सुदृढ़ बना सकें।

ने बताया कि इस हैकथॉन के माध्यम से देशभर के साइबर विशेषज्ञ, डेवलपर्स और नवाचारी छात्र एक मंच पर एकांत हुए हैं। यह आयोजन मुख्य रूप से डिजिटल फर्रिक्स, साइबर अपराध रोकथाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस इंटेलिजेंस जैसे गंभीर विषयों पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य ऐसी उन्नत प्रणालियां विकसित करना है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक सुदृढ़ बना सकें।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उप निदेशक एनसीआरबी नई दिल्ली प्रभु गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में आधुनिक पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन में डेटा एनालिटिक्स और एआई की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे ऐसे समाधान विकसित करें जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हों, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में व्यावहारिक और नैतिक रूप से सुरक्षित भी हों। सीडीटीआई

निदेशक डॉ. कपूर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए शील्ड 1.0 की अवधारणा को साझा किया। उन्होंने बताया कि युवाओं की रचनात्मक सोच को सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में विस्तार योग्य माइल्स में बदलना इस हैकथॉन की पहली प्राथमिकता है। विशेष अतिथियों के रूप में एमएनआईटी जयपुर डॉ. मीनाक्षी त्रिपाठी और साइबर विशेषज्ञ योगेश राव ने भी नवाचार और स्वदेशी तकनीकी विकास के महत्व पर अपने विचार रखे।

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के 20 जिलों में अवैध खनन पर राज्य सरकार की सख्ती

खनन विभाग ने जयपुर और पाली में बड़ी कार्रवाई कर 3 एक्सक्वेटर समेत 25 वाहन जब्त किए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के 20 जिलों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ शुक्र हुए अभियान के दौरान पहले दिन जयपुर के कालवाड़ तकसील के बावडी गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त दो एक्सक्वेटर जब्त किए गए।

निदेशक माईस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि अभियान के पहले

- पाली में एफआईआर दर्ज की गई, अभियान के पहले दिन 2.98 लाख का जुर्माना वसूला

दिन आरंभिक सूचनाओं के अनुसार दो एक्सक्वेटर के साथ ही 6 डंपर, 16 ट्रैक्टर जब्त कर संबंधित पुलिस थाने को सुपुर्द किए गए हैं। पाली में भी 7 वाहन की जब्ती की गई है। सिरोही के दोदुआ में एक जेसीबी जब्त करने की गई है। प्रमुख सचिव माईस टी.



मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनन विभाग ने जयपुर और पाली जिले के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई कर मशीनों को जब्त किया।

रविकान्त ने बताया कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के 20 जिलों के सभी जिला कलक्टरों ने टीमें का गठन कर दिया गया है। जिला कलक्टरों और खान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को क्लोज मोनेटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के पहले दिन जयपुर एमई श्याम कापड़ी की टीम ने कालवाड़ के बावडी में अवैध खनन

करते दो एक्सक्वेटर जब्त किये हैं। शिवदासपुरा में बजरी का अवैध परिवहन करते एक डंपर और चेजा पत्थर का अवैध परिवहन करते दो ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर शिवदासपुरा पुलिस को सौंपी है। जयपुर के कोटखावदा में चेजा पत्थर की दो ट्रैक्टर ट्राली, फागी में भी चेजा पत्थर का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर



ट्राली व मोखमपुरा में बजरी का परिवहन करते दो ट्रैक्टर ट्राली और एक ट्रैक्टर ट्राली चेजा पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए जब्त की गई है। अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एनएस शक्तावत ने बताया कि सीकर में एक डंपर चेजा पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया है। झुझुनू में ग्रीट का अवैध परिवहन

करते हुए दो डंपर व दौसा में एक ट्रैक्टर ट्राली को चेजा पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया है। प्रतापगढ़ में भी अवैध परिवहन करते एक वाहन जब्त किया। प्राप्त सूचना के अनुसार पाली के पाली, साण्डेराव, चण्डावल में अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक डंपर व 6 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई है। इसके

साथ ही एक एफआईआर व 1.27लाख जुर्माने की वसूली की गई है। मुख्यलय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस डॉ. धमेन्द्र लोहार द्वारा समन्वय किया जा रहा है। सिरोही के दोदुआ में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त एक जेसीबी जब्ती व 1 लाख 71 हजार 300 का जुर्माना वसूला गया है।

पडौसी ने जहर देकर युवती की हत्या की

दुष्कर्म केस वापस लेने के लिए पीड़िता पर बना रहा था दबाव

जयपुर। करन्धी इलाके में दुष्कर्म के एक मामले से बचने के लिए शांतिर युवक द्वारा युवती की जहर देकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने युवती को मिलने का झांसा देकर अकेले में बुलाया और धोखे से जहर खिला दिया। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। पीड़ित भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पडौसी युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतका के भाई ने बताया कि उसकी 25 वर्षीय बहन झुंझुनू में रहती थी और 13 अक्टूबर को नौकरी के सिलसिले में जयपुर आई थी। गत 14 अक्टूबर को दोपहर में बहन ने फोन कर उसे तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल बुलाया। अस्पताल पहुंचने पर युवती गंभीर हालत में भती मिली, जबकि वही गांव का रहने वाला एक युवक मौजूद था। पूछताछ में युवक ने खुद को किसी काम से सिंधी कैप आना बताया और कहा कि युवती के बुलाने पर वह वहां पहुंचा है। उसने दावा किया कि युवती ने खुद जहर खा लिया है। भाई ने युवती के होश में आने पर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी युवक ने मिलने का बहाना बनाकर बुलाया और धोखे से जहर खिला दिया। इलाज के दौरान 15 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े

- करधनी थाना पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

चार बजे युवती ने दम तोड़ दिया।

पिता से मिलने के बहाने आता था, बनाया अश्लील वीडियो

पीड़ित भाई का आरोप है कि गांव की जान-पहचान के चलते आरोपी उसके पिता से मिलने के बहाने घर आता-जाता था। इसी दौरान उसने युवती के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह लगातार ब्लैकमेल करने लगा। परेशान होकर युवती ने झुंझुनू में आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था।

आरोप है कि इसी केस को वापस लेने के लिए आरोपी युवती पर दबाव बना रहा था और जान से मारने की धमकियां दे रहा था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है।

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी

शहर के होटल , रिसॉर्ट , होम स्टे और गेस्ट हाउस फुल, रौनक बढ़ी

जोधपुर, (कासं)। नए साल 2026 के स्वागत से पहले ही सूर्यनगरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम

घंटाघर, जसवंत थड़ा सहित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर इन दिनों देसी और विदेशी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि ईयर एंड होने की वजह से भारी भीड़ भी नजर आ रही है। जोधपुर शहर में आम दिनों के

- मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन पैलेस, माचिया सफारी पार्क, सुरपुरा बांध, मंडोर उद्यान, कायलाना लेक, घंटाघर, जसवंत थड़ा सहित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं**

स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं। पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है।

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जोधपुर शहर के प्राचीन मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन पैलेस, माचिया सफारी पार्क, सुरपुरा बांध, मंडोर उद्यान, कायलाना लेक,

मुकाबले टूरिस्ट की संख्या में दोगुना बढ़ोतरी हो चुकी है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि की यहां पर आम दिनों में 2500 से 3000 के करीब पर्यटकों की आवाजाही रहती है, लेकिन इन दिनों यह आंकड़ा 6 से 7000 तक पहुंच चुका है, जिसमें देशी और विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं।

बीकानेर, (निस्ं)। यहां रायसर नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यहां 100 से ज्यादा टेंट सिटी बनाए गए हैं। एक ऐसी जगह, जहां कभी लोग रात में रुकने से डरते थे। यहां रेत के टीले देखने टूरिस्ट केवल दिन के उजाले में ही आते थे। दावा किया जाता था कि शाम ढलते ही यह जगह पूरी तरह वीरान हो जाती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जो जगह कभी वीरान रहती थी, वह अब टूरिस्ट से गुलजार है। कैमल सफारी, बाइक राइडिंग, सनसेट पॉइंट और न जाने क्या-क्या। खाने-रहने से लेकर एडवेंचर प्विक्टिटी के सारे इंतजाम हैं। अब यहां दिन-रात चहल-पहल बनी रहती है। शाम ढलते ही पूरा इलाका रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है।

यहां के लोक गीत कानों में रस धोलते हैं। यहां आने वाले टूरिस्ट अपने साथ ऐसी यादें लेकर लौटते हैं, जिन्हें वे कभी भूल नहीं पाते।

बीकानेर में आने वाले विदेशी टूरिस्ट की संख्या काफी कम रहती थी। ऐसे में जो भी विदेशी टूरिस्ट यहां आते थे, उन्हें गाइड रेत के टीले दिखाने रायसर ले जाते थे। बताया जाता है कि उस समय यहां चारों तरफ केवल रेत के टीले ही थे। महज 10 से 50 रुपए में ऊंट गाड़ी की सवारी हो जाया करती थी। यहां न तो पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था थी और न ही रात में रुकने के लिए जगह। यहां आने वाले टूरिस्ट दिन में ही यह जगह देखकर वापस लौट जाते थे।

साल 2020 में यहां जैसलमेर की तर्ज पर टेंट सिटी बसाने का गुान तैयार किया गया। जिन लोगों के धोरों में खेत थे, उन्होंने इसकी पहल की। यहां कपड्डों और मिट्टी से टेंट सिटी को डेवलप किया गया। 10 से 15 बीघा में यहां पूरा शहर बसा दिया गया। टेंट सिटी के संचालक राजू सिंह बताते हैं कि पहले यहां खेत हुआ करते थे। धीरे-धीरे उनके परिवार ने टूरिस्ट लाना शुरू किया। शुरुआत में टूरिस्ट को सिर्फ ऊंट गाड़ी पर बैठाकर ही सफारी कराई जाती थी। आज यह एरिया टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। अब करीब 100 बीघा में यहां टेंट सिटी फैली हुई है। ये पूरा इलाका रेत के ऊंचे-ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है।

स्यालोदड़ा गांव में क्रशर और मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट बनती जा रही है ‘मौत की फैक्टरी’

नीमकाथाना, (निस्ं)। सीकर जिले की पाटन तहसील के गांव स्यालोदड़ा में संचालित स्टोन क्रशर और मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इन उद्योगों से उड़ने वाली सिलिका युक्त धूल के कारण मजदूर सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि बीते एक माह में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। रविवार को ओमपाल गुर्जर की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे महज 17 दिन पहले उनके चचेरे भाई छाजुराम की भी इसी बीमारी के चलते जान चली गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि इन दोनों में सिलिकोसिस के स्पष्ट लक्षण थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें टीबी का मरीज बताकर सिलिकोसिस पीड़ित मानने से इनकार कर दिया गया। इसके चलते पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा भी नहीं मिल पाया।

ग्रामीणों का आरोप है कि स्यालोदड़ा क्षेत्र में स्थित स्टोन क्रेशर और मिनरल ग्राइंडिंग यूनिटों में काम करने वाले कई मजदूर इस बीमारी से पीड़ित हैं। बीते एक वर्ष में इन क्रेशर यूनिटों से जुड़े छह मजदूरों की मौत हो

- हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि एक माह में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो चुकी है**
- स्यालोदड़ा में वन विभाग के खसरा नंबर 72 में स्थित चिड़ीमार पहाड़ अवैध खनन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है**

चुकी है, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। इसके बावजूद किसी भी पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा नहीं दिया गया। सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में एकस-रे अपलोड करने के बावजूद विभाग द्वारा आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। मरीजों की मांग है कि केवल कामाजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि विशेषज्ञ मेडिकल टीम द्वारा मौके पर फिजिकल जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सिलिकोसिस जांच शिविर लगाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इन शिविरों में आज तक किसी को भी सिलिकोसिस पीड़ित घोषित नहीं किया गया।

पिछले दस वर्षों में गांव में क्रेशर यूनिटों का तेजी से विस्तार हुआ है। यहां बड़े पैमाने पर सिलिका की पिसाई होती है, जिसकी धूल काफी दूर तक उड़ती दिखाई देती है और यही सिलिकोसिस का

मुख्य कारण बन रही है। इधर, स्यालोदड़ा में वनविभाग के खसरा नंबर 72 में स्थित चिड़ीमार पहाड़ अवैध खनन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। रविवार को भी दोपहर करीब दो बजे और शाम के समय दो-तीन बार भारी ब्लास्टिंग की गई, जिससे पूरे इलाके में धूल, धुआं और तेज कंपन के कारण दहशत का माहौल बन गया। अरावली पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा दिन-रात अवैध ब्लास्टिंग से कांप रहा है। खनन माफियाओं की बेहमी ने पहाड़ को छलनी कर दिया है।

अवैध खनन के चलते हजारों पेड़-पौधे नष्ट हो चुके हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। वन क्षेत्र से कोमती क्वार्ट्जाइट पत्थर चोरी कर निकाला जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया चिड़ीमार पहाड़ से अवैध ब्लास्टिंग कर ट्रैक्टरों के जरिए महज एक हजार रुपये प्रति टन में पत्थर

निकाल लेते हैं, जबकि उसी पत्थर से तैयार सामग्री की कोमत राष्ट्रीय बाजार में करीब पांच हजार रुपये और अंतरराष्ट्रीय बाजार में दस हजार रुपये प्रति टन तक है।ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन और ब्लास्टिंग की सूचना वन विभाग को देने पर पाटन रेंज में कर्मचारियों और संसाधनों को कमी का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि पाटन रेंज के कई कर्मचारी सीकर रेंज में तैनात हैं और वहीं से वेतन ले रहे हैं।

पाटन और नीमकाथाना तहसील, जहां जिले का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, यहां संसाधनों का भारी अभाव बना हुआ है।स्यालोदड़ा क्षेत्र में करीब 30 दिन-रात अवैध ब्लास्टिंग से कांप रहा है, जिनमें से अधिकांश कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे। आरोप है कि क्रेशर संचालक अवैध रकमों के सहारे वन क्षेत्र से चोरी किए गए क्वार्ट्जाइट पत्थर की पिसाई कर रहे हैं। माइनिंग विभाग से मिलीभगत कर रकने हासिल किए जाते हैं और स्टॉक का मिलान जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। यदि खानों और स्टॉक का सही मिलान हो जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन विभागीय मिलीभगत के चलते कार्रवाई नहीं हो रही।

ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
टांक, (निस्ं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध खनन व परिवहन रोकथाम हेतु कार्यवाही करते हुये थानाधिकारी पीपलू राजकुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पीपलू थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुये बजरी से भरे हुये एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। चालक के खिलाफ पीपलू थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान व आरोपी की तलाश जारी है। इसी प्रकार पीपलू थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में शांतिभंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कर दिनेश पुत्र हनुमान मीणा निवासी प्याबडी, रामदेव गुर्जर पुत्र पप्पुलाल गुर्जर निवासी नाथडी व रामभजन गुर्जर पुत्र भैरुलाल निवासी मोहम्मदनगर ढाणी थाना पीपलू को गिरफ्तार किया गया।

टैंकर, (निस्ं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध खनन व परिवहन रोकथाम हेतु कार्यवाही करते हुये थानाधिकारी पीपलू राजकुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पीपलू थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुये बजरी से भरे हुये एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। चालक के खिलाफ पीपलू थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान व आरोपी की तलाश जारी है। इसी प्रकार पीपलू थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में शांतिभंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कर दिनेश पुत्र हनुमान मीणा निवासी प्याबडी, रामदेव गुर्जर पुत्र पप्पुलाल गुर्जर निवासी नाथडी व रामभजन गुर्जर पुत्र भैरुलाल निवासी मोहम्मदनगर ढाणी थाना पीपलू को गिरफ्तार किया गया।

बैठक के दौरान यह निर्णय किया



के.के. गुप्ता ने जोधपुर नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली।

गया कि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 36, 8, 54, 99 और 82 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आदर्श वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। वार्ड सफाई निरीक्षण क्रमशः ललित रुपणी, मोहम्मद आदिल, अपूर्व पुरोहित, मदन सिंह और लक्ष्मण सिंह को निर्देशित किया गया है कि, इन वार्डों में सर्वे कर हर घर का मोबाइल नंबर लेकर ग्रुप बनाया जाएगा तथा प्रत्येक घर से प्रतिदिन नियमित रूप से कचरा एकत्र होना चाहिए और गिला तथा सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित किया जाए। कचरा संग्रहण में टाइम बॉन्डिंग रहनी चाहिए तथा यह

कार्य 365 दिन चलना चाहिए कचरा संग्रहण का समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक का होना चाहिए जिसकी मॉनिटरिंग जीपीएस सिस्टम एवं जिओ टेक से की जाए। आगामी एक महिने के भीतर अन्य सभी 95 वार्ड को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया गया। गुप्ता ने निर्देशित किया कि नगर निगम क्षेत्र में बने हुए 60 शौचालय और 27 मूत्रालय की प्रतिदिन तीन-तीन बार सफाई की जानी चाहिए और प्रत्येक बार जिओ टैगिंग के साथ में फोटोग्राफ अपलोड किए जाएं। इस कार्य के लिए सफाई निरीक्षक रजनीश को पाबंद किया

शिल्पग्राम में विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों ने समां बांधा



शिल्पग्राम उत्सव के नौवें दिन मुक्ताकाशी मंच पर अनेक राज्यों के लोक कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी।

उदयपुर, (निस्ं)। शिल्पग्राम उत्सव के नौवें दिन सोमवार को मुक्ताकाशी मंच पर म्यूजिकल सिंफनी पेश की गई। जब खरताल, रबाव, मोरचंग और पुंग जैसे विभिन्न राज्यों के फोक इंस्ट्रूमेंट्स न सिर्फ एक साथ बजे, बल्कि जब एक दूसरे से सवाल-जवाब के अंदाज में ताल मिलाने लगे तो समूचा शिल्पग्राम झूम उठा। फिर, जब आखिर में गगनभेदी

सुरमाई आलाप के साथ तीन दर्जन से ज्यादा वाद्य यंत्रों ने एक साथ अपना रंग जमाया तो तमाम श्रोता वाह-वाह करने लगे।

शिल्पग्राम के भव्य मंच पर जब पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के निदेशक फुरकान खान की परिकल्पना और निर्देशन में तैयार इस म्यूजिकल सिंफनी में विभिन्न राज्यों के करीब तीन

दर्जन फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के महासंगम ने समां बांध दिया। खास बात यह है कि इसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं के साथ ही खुशहाली से जुड़े इस डांस ने दर्शकों का मन मोह लिया। मणिपुर के अनूठे शास्त्रीय और फोक मिश्रित नृत्य पुंग ढोल चेलम में नर्तकों ने टुंग (ड्रम) बजाते हुए लयबद्ध और कलाबाजियों से दर्शकों को

पंखों के कॉस्टचयूम में जब डांसर्स ने मयूर लोक नृत्य की प्रस्तुति दी, तो दर्शक झूम उठे। इसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं के साथ ही खुशहाली से जुड़े इस डांस ने दर्शकों का मन मोह लिया।

मणिपुर के अनूठे शास्त्रीय और फोक मिश्रित नृत्य पुंग ढोल चेलम में नर्तकों ने टुंग (ड्रम) बजाते हुए लयबद्ध और कलाबाजियों से दर्शकों को

मंत्रमुरछ कर दिया। पश्चिम बंगाल के राय बेंसे और पुरुलिया छाऊ नृत्यों में एक्रोबेट, मार्शल आर्ट और शास्त्रीय शैली के अनूठे मिश्रण, महाराष्ट्र के लावणी में नर्तकियों के शृंगार व आदकारी, राजस्थान के कालबेलिया डांस में नर्तकियों के करतबों ने खूब दाद पाई। मेवात क्षेत्र के भगंत वादन से लोक कलाकार श्रोताओं के दिलों के तारों को

- म्यूजिकल सिंफनी में कई राज्यों के फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के महासंगम ने समां बांध दिया**

झंकृत कर दिया। वहीं, उत्तराखंड के अनूठी और गुदगुदाती छेड़छाड़ वाले छापेली और असम के बिहू डांस को सौम्यता दर्शकों को खूब पसंद आई। इनके साथ ही मणिपुर की नृत्य शैली के साथ मार्शल आर्ट के अनूठे संगम वाले थांग-ता स्टिक डांस ने रोमांच का खूब संचार किया। वहीं गुजरात के सिद्धि धमाल व पश्चिम बंगाल के नटुआ डांस ने दर्शकों में नई ऊर्जा भर दी, तो पंजाब के घमाकेदार भांगड़ा डांस पर दर्शक खूब झुमे। सिंधी छम ने भी दर्शकों को खूब रझाया। मुख्य कार्यक्रम से पूर्व मुक्ताकाशी मंच पर सुंदरी वादन, तेराताली, मांगणिया रागयन और भवई नृत्य की प्रस्तुतियों को भी दर्शकों ने खूब सराहा। राज्यस्था सांसद चुनौलाल गरगसिया ने सोमवार शाम मुक्ताकाशी मंच पर प्रस्तुतियां देखीं और कलाकारों की हौसला अफजाई की।

अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करें : कलैक्टर

■ कलैक्टर की अध्यक्षता में अवैध खनन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित

भूमि, राजस्व विभाग खातेदारी भूमि एवं खान विभाग राजकीय भूमि में अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें। इसी प्रकार रीको एवं यूआईटी की भूमि में अवैध खनन होने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अभियान के दौरान अवैध खनन एवं भण्डारण क्षेत्रों की जांच कर आवश्यकतानुसार ड्रोन सर्वे कराया जावे। उन्होंने खनि अभियन्ता को निर्देश दिये कि ओवरलैड वाहनों पर कार्रवाई करें तथा अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के प्रकरणों में निष्पार्तिता अवधि में प्रकरण का कम्पाउण्ड राशि/ निर्धारित शास्ति राशि जमा नहीं करवाने पर एफआईआर दर्ज करावे।

हमला करने के छह आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा



इटावा पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि विशेष टीम ने प्रदीप गोचर, सौरभ सेन, रोहित कण्डारा, कौशल प्रजापत, कप्तान नागर एवं इसरार अहमद को गिरफ्तार किया।

पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

‘लोन प्रदाता फाइनेंस कंपनी परिवादी को आभूषण लौटायें’

उपभोक्ता आयोग ने फाइनेंस कंपनी को आदेश दिया

थे। अनुबंध के अनुसार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की अदायगी की दर से लोन राशि प्राप्त की थी।

फाइनेंस कंपनी द्वारा निर्धारित ब्याज दर से अधिक ब्याज दर लगाते हुए राशि भुगतान करने अथवा सोने के आभूषणों की सार्वजनिक बिक्री करने का उल्लेख करते हुए नोटिस दिया। आयोग के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा एवं सदस्य रमेशकुमार गौड़ ने उक्त प्रकरण की सुनवायी कर फाइनेंस कंपनी को

नोटिस भेजा, उपस्थित नहीं होने पर कम्पनी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई कि बकाया लोन राशि का भुगतान करने पर परिवादी को उसके स्वर्ण आभूषण वापस लौटावें। परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परिवाद व्यय पेटे एकमुश्त 1.5 हजार रुपये अदा करें। उक्त आदेश की पालना निर्णय की तिथि से 45 दिन मे की जावें। पालना नहीं करने पर सम्पूर्ण देय राशि पर तााअदायगी 9 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करे।

